UPME010089222026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।</u>
<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2511/2026</u>

राजन गुर्जर उर्फ राजन कुमार पुत्र मनोज कुमार
निवासी–म0सं0 613/7, जाग्रति विहार थाना मैड़िकल, जिला मेरठ।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–241/2026
अं0धारा–140(1) बी.एन.एस।
थाना–मैड़िकल, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से..... श्री ब्रजमोहन सिंह, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–19.06.2026</u>

1. यह **प्रथम अग्रिम जमानत** प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजन गुर्जर उर्फ राजन कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 241/2026, अंतर्गत धारा–140(1) बी.एन.एस थाना–मैड़िकल, जनपद मेरठ में **अग्रिम** जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि प्रार्थी संजीव त्यागी द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसका लड़का केशव उम्र करीब 22 वर्ष जाग्रति विहार स्थित राजस्थान स्वीट्स के पास अपने दोस्त आर्यन के साथ मोटर साईकिल से आ रहा था तो वहॉ पर राजन गुर्जर अपने साथियों के साथ उसके लड़के का समय करीब 09.45 बजे रात्रि को अपहरण करके ले गया। उसे आशंका है कि उसके लड़के की हत्या न कर दें।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त व मुकदमा वादी के मध्य रूपयों का लेन–देन का विवाद चला आ रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्त, केशव से अपने उधार के रूपये मांगने गया, जिस पर केशव ने रूपये वापस करने से इंकार कर दिया तथा उपरोक्त झूॅठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। घटनास्थल के आस–पास सी0सी0टी0वी कैमरे लगे हुये है, उसके बावजूद घटना का कोई भी जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। थाना मैड़िकल की पुलिस अभियुक्त के घर पर लगातार दबिश दे रही है और अभियुक्त को गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की प्रतिष्ठा एवं छवि धूमिल होने व समाज में अपमानित होने की पूर्ण संभावना है। अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है। अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने पर उसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा के पुत्र केशव का अपहरण करके ले जाने का आरोप है। केस डायरी के पर्चा नंबर 2 में अपहृत/पीड़ित केशव त्यागी का बयान अंकित है, उसके द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि मैं अपने दोस्त आर्यन के साथ राजस्थान स्वीट्स पर आया था और उसी वक्त दो लड़के बाईक पर आये, जिनमें से एक का नाम राजन गुर्जर है, उन्होंने उसे जबरदस्ती खींचकर अपनी बाईक पर बैठा लिया और रिंग रोड़ की तरफ ले गये और एम.आई.टी की तरफ

सूनसान जगह वाले स्थान पर लेकर बैठा लिया, जहॉ पर पहले से 45 लड़के खड़े हुये थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की, गला दबाने की कोशिश की और पैसों की मांग की। चश्मदीद गवाह अनुपम जैन का बयान भी विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 3 में अंकित किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि उस दिन वे रैस्टोरेंट में ही थे, तभी यह घटना हुयी थी। एक 20–22 साल का लड़का पहले रैस्टोरेंट में अकेले बैठा था, फिर बाहर की ओर गया और फिर अचानक दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला कि अंकल बचा लो। तभी अचानक दूसरा मोटा लड़का आया और जबरदस्ती मेरे रैस्टोरेंट के काउन्टर के पास से उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गया। मुकदमा वादी का बयान भी विवेचक द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया है, जिसके द्वारा भी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है और अब तक की गयी विवेचना में जो साक्ष्य एकत्र किया गया है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी प्रतिष्ठा एवं छवि धूमिल करने एवं समाज में अपमानित करने के आशय से झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण गंभीर अपराध से सम्बन्धित है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का 6 केसों का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है तथा जमानत प्रदान किये जाने पर उसके फरार होने, गवाहों को डराने व धमकाने की प्रबल संभावना दर्शायी गयी है।

8. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त राजन गुर्जर उर्फ राजन कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 19.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6155

Pankaj Kumar (P.A.)